

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

प.4(56)वित्त-1(1)आय.व्य/2016

जयपुर, दिनांक : ५.८.२०१७

स्वीकृति संख्या:- २०३/२०१७-१८

कोषाधिकारी,
उदयपुर।

विषय :- वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के पी.डी.खाते में राशि रुपये १२११५.७३ लाख के हस्तांतरण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ ५(ए)(२)(४९) सीटीएडी / कृषि/एससीए प्रस्ताव /२०१७-१८ स्वीकृति सं. ३१/२०१७-१८ दिनांक २७.०७.२०१७ राशि रु. ५६६.३६ लाख, स्वीकृति सं. ३२/२०१७-१८ दिनांक २७.०७.२०१७ राशि रु. ५६०.०० लाख, स्वीकृति सं. ३३/२०१७-१८ दिनांक २७.०७.२०१७ राशि रु. २१००.०० लाख, स्वीकृति सं. ३४/२०१७-१८ दिनांक २७.०७.२०१७ राशि रु. ४००.०० लाख, स्वीकृति सं. ३५/२०१७-१८ दिनांक २७.०७.२०१७ राशि रु. ११५१.८० लाख, स्वीकृति सं. ४१/२०१७-१८ दिनांक २७.०७.२०१७ राशि रु. ९००.०० लाख, स्वीकृति सं. ४२/२०१७-१८ दिनांक २७.०७.२०१७ राशि रु. १०००.०० लाख, स्वीकृति सं. ४३/२०१७-१८ दिनांक २७.०७.२०१७, राशि रु. ४००.०० लाख, स्वीकृति सं. ४४/२०१७-१८ दिनांक २७.०७.२०१७, राशि रु. २००.०० लाख, स्वीकृति सं. ४५/२०१७-१८ दिनांक २७.०७.२०१७, राशि रु. ४२५.१६ लाख, स्वीकृति सं. ४६/२०१७-१८ दिनांक २७.०७.२०१७, राशि रु. २९३९.९१ लाख, स्वीकृति सं. ४७/२०१७-१८ दिनांक २७.०७.२०१७, राशि रु. ३२७.५० लाख, स्वीकृति सं. ४८/२०१७-१८ दिनांक २७.०७.२०१७, राशि रु. ४३०.०० लाख एवं स्वीकृति सं. ४९/२०१७-१८ दिनांक २७.०७.२०१७, राशि रु. ७१५.०० लाख में अंकित शर्तों के अनुसार आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के पी.डी. खाते में कुल राशि रुपये १२११५.७३ लाख (अक्षरे रुपये एक सौ इक्कीस करोड़ पंद्रह लाख तिहेत्तर हजार) मात्र निम्नांकित बजट मदों में व्यय दर्शाते हुए हस्तांतरित कर दी जावे।

मांग संख्या -३०

४२२५ - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

०२ - अनुसूचित जन जातियों का कल्याण

७९६ - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना

(०९) -उपयोजना क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु विभिन्न निर्माण कार्य (विकेस)

[०१]- जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण

१७ - वृहद निर्माण कार्य (के.स.) राशि रुपये ५६६.३६लाख

[०२]- नहरों का सुदृढीकरण

१७ - वृहद निर्माण कार्य (के.स.) राशि रुपये ५६०.००लाख

[०३]- जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं बंद पड़ी जलात्थान सिंचाई

१७ - वृहद निर्माण कार्य (के.स.) राशि रुपये २१००.००लाख

(११) -संविधान के अनुच्छेद २७५(१) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (विकेस)

[०१]- आश्रम छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण

१७ - वृहद निर्माण कार्य (के.स.) राशि रुपये ९००.०० लाख

[०३]- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का निर्माण एवं नवीनीकरण

१७ - वृहद निर्माण कार्य (के.स.) राशि रुपये १०००.०० लाख

[05]– हैण्डपम्प स्थापना सहित पेयजल योजनाएं 17 – वृहद निर्माण कार्य (के.स.)	राशि रुपये 400.00 लाख
[08]– जनजाति भवन का निर्माण एवं नवीनीकरण 17 – वृहद निर्माण कार्य (के.स.)	राशि रुपये 200.00 लाख
[11]– खेल छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण 17 – वृहद निर्माण कार्य (के.स.)	राशि रुपये 425.16 लाख
[14]– राजकीय शैक्षणिक संस्थाओं में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण 17 – वृहद निर्माण कार्य (के.स.)	राशि रुपये 2939.91 लाख
[17]– राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अतिरिक्त निर्माण कार्य 17 – वृहद निर्माण कार्य (के.स.)	राशि रुपये 327.50 लाख
[18]– टीएडी भवनों का निर्माण, विस्तार एवं नवीनीकरण 17 – वृहद निर्माण कार्य (के.स.)	राशि रुपये 430.00 लाख
[19]– टीएडी के अतिरिक्त भवनों का निर्माण, विस्तार एवं नवीनीकरण 17 – वृहद निर्माण कार्य (के.स.)	राशि रुपये 715.00 लाख
(24) –जनजाति उपयोजना क्षेत्र के विकास हेतु पूंजीगत निर्माण कार्य (विकेस)	
[01]– जनजाति बस्तियों को सेवा केन्द्रों से जोड़ना 17 – वृहद निर्माण कार्य (के.स.)	राशि रुपये 400.00 लाख
[02]– टीएडी भवनों का निर्माण, विस्तार एवं नवीनीकरण 17 – वृहद निर्माण कार्य (के.स.)	राशि रुपये 1151.80 लाख

योग– राशि रुपये 12115.73 लाख मात्र

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

W. S. S.
(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा-प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जयपुर।
3. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-II) विभाग।
5. अतिरिक्त निदेशक (संयुक्त निदेशक), वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

W. S. S.

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)